भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 139.*

दिनांक 02.12.2014/ 11 अग्रहायण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

सीमा पार तस्करी

***139. श्री हुकुम सिंह:**
श्री केशव प्रसाद मौर्य:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से विभिन्न मदों यथा जाली मुद्रा, मादक द्रव्यों, मवेशियों, हथियारों इत्यादि की तस्करी किए जाने के मामलों का पता लगा है; यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सीमा-वार कितने मामलों का पता लगा है, कितने तस्करों को पकड़ा गया और जब्त किए गए उक्त मदों की मात्रा है;
(ख) जब्त किए गए स्वापक पदार्थों को किस प्रकार नष्ट किया जाता है;
(ग) सीमाओं पर तैनात सुरक्षा कार्मिकों की तस्करी के मामलों में क्या भूमिका रहती है;
(घ) क्या सीमा पर तस्करी के लिए बच्चों का इस्तेमाल वाहक के रुप में किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड़) सीमा पार तस्करी को रोकने और सीमावर्ती इलाकों में नशीले पदार्थों के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ड़.) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 02.12.2014 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 139 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर विभिन्न मदों, यथा जाली मुद्रा, मादक द्रव्यों, मवेशियों, हथियारों आदि की तस्करी के मामलों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सूचित मामलों, गिरफ्तार किए गए तस्करों और जब्त की गई उक्त मदों की मात्रा का सीमा-वार ब्योरा अनुलग्नक – 'क' में सलग्न हैं।

(ख): जब्त की गई मदें संबंधित पुलिस प्राधिकरणों/विधि प्रवर्तन एजेंसियों के सुपुर्द की जा रही है। जब्त किए गए स्वापक पदार्थों को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन दिनांक 10.05.2007 की अधिसूचना सं. जीएसआर.339(अ) के अनुसार मादक पदार्थ निपटान समिति के माध्यम से नष्ट किया जाता है।

(ग): अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तैनात सीमा रक्षक बल सीमा के साथ-साथ नियमित रुप से गश्त और नाकाबंदी जैसी अनेक ऑपरेशनल गतिविधियां संचालित करते हैं। बलों द्वारा सीमा पार करने वाले व्यक्तियों की जांच अपने आसूचना तंत्र से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अथवा औचक आधार पर भी की जाती है।

(घ): चालू वर्ष के दौरान भारत-बांग्लादेश सीमा को छोड़कर, जहां कि तस्करी की गतिविधियों के लिए 12 बच्चों को पकड़ा गया है, किसी अन्य सीमा से ऐसे किसी भी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ड.): सरकार ने देश के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर तस्करी सहित सीमा-पार अपराध पर रोकथाम के लिए और वहां प्रभावी आधिपत्य कायम करने के लिए एक बहु-आयामी नीति अपनाई है। इस संबंध में उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल है:-

- **गश्त नाका (सीमा पर घात) द्वारा सीमाओं की चौबीसों घंटे चौकसी और देश के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी चौकी स्थापित करके सीमा पर प्रभावी आधिपत्य। सीमा सुरक्षा बल के जल-विंग के जलयानों/स्पीड बोट्स/फ्लोटिंग बार्डर आउट पोस्ट (सीमा चौकी) की मदद से देश के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर स्थित नदी वाले क्षेत्रों में गश्त लगाई जा रही है और वहां आधिपत्य रखा जा रहा है।**
- **बाड़, गश्त सड़कों, तेज रोशनी से संबंधित उपकरण लगाना और अतिरिक्त सीमा चौकियों का निर्माण ।**

.....2/-

- उच्च-तकनीक वाले निगरानी उपकरण और बल वर्धक शामिल किए जा रहे हैं। दिन और रात्रि कालीन दृश्य उपकरणों से पूरी तरह लैस नवीनतम चौकसी उपकरणों की खरीद के सतत् प्रयास किए जाते हैं ताकि सीमा पर आधिपत्य को और बढ़ाया जा सके।
- प्रतिपक्षी देशों के साथ विभिन्न बैठकों, अर्थात, कंपनी कमांडर बैठक, कमांडेंट स्तर की बैठक, सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक, फ्रंटियर स्तर की बैठक और महानिदेशक स्तर की वार्ता के दौरान सीमा पार से घुसपैठ के मामलों को उठाया जाता है।
- भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध प्रवास/सीमा पार से अपराध के संबंध में संवेदनशील सीमा चौकियों (बीओपी) की सुभेद्यता का मापांकन किया गया है । अतिरिक्त जनशक्ति तैनात कर, विशेष निगरानी उपकरणों, वाहनों एवं अन्य अवसंरचनात्मक सहायता के द्वारा पहचान की गई इन सीमा चौकियों को मजबूती प्रदान की गई है ।
- आसूचना नेटवर्क का स्तरोन्नयन, सहायक एजेंसियों के साथ समन्वय और सीमा पर विशेष अभियानों का आयोजन।
- समय-समय पर सीमा पर हवाई रेकी भी की जाती है।
- सीमा रक्षक बटालियनों के रुप में नामित 15 बटालियनों को संपूर्ण भारत-म्यांमार सीमा पर तैनात किया जाता है। इनके अतिरिक्त, चौकसी में और वृद्धि के लिए तथा हथियारों/स्वापक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए हाल ही में असम राइफल्स की 17 सीमा चौकियों (बीओपी) को भीतरी क्षेत्रों से हटाकर भारत-म्यांमार सीमा के निकट स्थापित किया गया है।